कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं.: स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-122/2017-18/

दिनांक : /02/2018

सेवा में,

अधशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, लक्सर
जनपद- हरिद्वार

वषय : नगर पालिका परिषद, लक्सर का वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग-2(अ) मे शून्य प्रस्तर, भाग- 2(ब) में 03 प्रस्तर एंव STAN में शून्य प्रस्तर हैं, इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग- 2(अ) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या सचिव, शहरी विकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून एवं भाग- 2(ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति
2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 112/2017-18/ दिनांक : /02/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड़, साईं इंस्टीट्यूट के पास देहरादून ,
2. निदेशालय, लेखापरीक्षा (आडिट), द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

भाग-I

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी.एल.शर्मा, स.ले.प.अ., श्री अर्जुन सिंह, स.ले.प.अ. तथा श्री अंकित बंसल, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **24.09.15** से **03.10.15** तक संपादित की गई थी जिसमें **2012-13** से **2014-15** तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. **<u>इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र</u>**:-

(i) भौगोलिक क्षेत्र: **07.00 वर्ग कि.मी.**

(ii) जनसंख्या: **25,754**

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: **09**

(iv) नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: **05 बैठकें**

(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: **शून्य**

(vi) कर्मचारियों की संख्या: **15-नियमित**

(vii) नगर पालिका परिषद की संपत्तियाँ: **13 दुकानें, 03 बारातघर एवं 03 कार्यालय भवन**

(viii) नगर पालिका परिषद के अपने प्रोजेक्ट: **कोई नहीं**

(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(x) (अ) सामाजिक संरक्षा:

(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित:

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें:

(द) लाभार्थियों की संख्या:

(xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xii) वर्ष के दौरान कुल व्यय

(अ) सामान्य :

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये | : **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ**

भाग-I. 2(ii)(अ)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद लक्सर, जनपद-हरिद्वार को विगत तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण

समस्त धनराशि ( ) में

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)		अवशेष			
							स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)	
	स्थापना (NP)	गैर स्थापना (P)	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	9026107	10256508	30946498	34069824	13591884	17632187	0	5902781	0	6216205
2015-16	5902781	6216205	25644580	29246057	19588818	16264854	0	2301304	0	9540169
2016-17	2301304	9540169	25300828	23869768	41244354	17576411	0	3732364	0	33208112
कुल योग			**81891906**	**87185649**	**74425056**	**51473452**				

भाग-I. 2(ii)(अ)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद लक्सर, जनपद-हरिद्वार का वर्ष 2014-15 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	3859000	3859000	2572000	1287000
2	राज्य वित्त आयोग	8572343	22223000	30795343	25920244	4875099
3	अवस्थापना विकास निधि	5018000	0	5018000	5018000	0
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
5	आई.ई.सी.	0	0	0	0	0
6	रैन बसेरा हेतु	0	0	0	0	0
7	पार्क सौंदर्यीकरण	0	0	0	0	0
8	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	3513000	0	3513000	0	3513000
9	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	0	0	0	0
10	विधायक निधि (ब्याज सहित)	1725508	6976884	8702392	7472342	1230050
11	दैवीय आपदा	0	2756000	2756000	2569845	186155
12	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	453764	8723498	9177262	8149580	1027682
	कुल योग	**19282615**	**44538382**	**63820997**	**51702011**	**12118986**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद लक्सर, जनपद-हरिद्वार का वर्ष 2015-16 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	1287000	3708000	4995000	4994437	563
2	राज्य वित्त आयोग	4875099	22223000	27098099	26384335	713764
3	अवस्थापना विकास निधि	0	12458000	12458000	5015696	7442304
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	360000	360000	98000	262000
5	आई.ई.सी.	0	22900	22900	22900	0
6	रैन बसेरा हेतु	0	0	0	0	0
7	पार्क सौंदर्यीकरण	0	895000	895000	616799	278201
8	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	3513000	0	3513000	2517174	995826
9	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	0	0	0	0
10	विधायक निधि (ब्याज सहित)	1230050	2144918	3374968	2999848	375120
11	दैवीय आपदा	186155	0	186155	0	186155
12	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	1027682	3421580	4449262	2861722	1587540
	कुल योग	**12118986**	**45233398**	**57352384**	**45510911**	**11841473**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद लक्सर, जनपद-हरिद्वार का वर्ष 2016-17 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	563	6809000	6809563	3288563	3521000
2	राज्य वित्त आयोग	713764	22223000	22936764	21233926	1702838
3	अवस्थापना विकास निधि	7442304	13871000	21313304	8172851	13140453
4	स्वच्छ भारत मिशन	262000	789981	1051981	62000	989981
5	आई.ई.सी.	0	15000	15000	11600	3400
6	रैन बसेरा हेतु	0	600000	600000	179676	420324
7	पार्क सौंदर्यीकरण	278201	0	278201	125307	152894
8	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	995826	0	995826	225235	770591
9	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	13840000	13840000	0	13840000
10	विधायक निधि (ब्याज सहित)	375120	5319373	5694493	5325024	369469
11	दैवीय आपदा	186155	0	186155	186155	0
12	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	1587540	3077828	4665368	2635842	2029526
	कुल योग	**11841473**	**66545182**	**78386655**	**41446179**	**36940476**

लेखाओं पर टिप्पणी:-

(i) वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई है अर्थात योजनाओं का कृयान्वन सही ढंग से नहीं हो रहा है |

(ii) लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है |

भाग-I. 2(ii)(स)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद लक्सर, जनपद-हरिद्वार का केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण

वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
2014-15	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	3859000	3859000	2572000	1287000
2015-16	केन्द्रीय वित्त आयोग	1287000	3708000	4995000	4994437	563
2016-17	केन्द्रीय वित्त आयोग	563	3288000	3288563	2601654	686909
2014-15	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
2015-16	स्वच्छ भारत मिशन	0	360000	360000	98000	262000
2016-17	स्वच्छ भारत मिशन	262000	200000	462000	62000	400000

भाग II-'ब '

प्रस्तर 1 : इकाई द्वारा दिये गए विभिन्न ठेकों पर स्टाम्प शुल्क की कम वसूली के कारण शासन को `44,294/- के राजस्व की हानि |

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अध्याय दो की धारा (16) एवम् इसी अधिनियम की अनुसूची 1 (बी) के अनुच्छेद 35 के अनुसार किसी लीज/अनुबंध या करार तथा किसी अचल सम्पत्ति को स्थानान्तरित आदि करने पर नियमानुसार शासन द्वारा स्टाम्प शुल्क की वसूली की जाती है ताकि शासकीय आय में वृद्दि हो सके। **नगर निगमों/नगर पालिकाओं द्वारा दिये जाने वाले ठेकों पर स्टाम्प शुल्क की देयता के संबंध में अपर महानिरीक्षक निबन्धक उत्तराखंड, देहरादून द्वारा निदेशक शहरी विकास को संबोधित अपने पत्र संख्या 375/म.नि.नि./2012-13 दिनांकित 13.07.2012 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि ठेकों पर ठेकों की सम्पूर्ण राशि के 2% की दर से स्टाम्प शुल्क की वसूली की जानी चाहिए |** इसी सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17.2.2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि लीज अनुबन्ध स्टाम्प की धारा (2)(16) के अन्तर्गत आती है जिस पर अनुच्छेद 35 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क देय है।

इकाई द्वारा ठेकों पर दी गई अचल सम्पत्तियों के अनुबन्धों की पत्रावलियों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच (जनवरी 2018) में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2016-17 के दौरान दिये गये विभिन्न प्रकार के ठेकों पर संलग्नक 'क' के अनुसार `44,294/- के स्टाम्प शुल्क की कम वसूली की गई थी |

इसे इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि सभी ठेकेदारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं तथा ठेकेदारों से स्टाम्प शुल्क की बकाया धनराशि `44,294/- को वसूलने के बाद राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा विभिन्न ठेकों पर देय समस्त स्टाम्प शुल्क की वसूली के बाद ही कार्यादेश जारी करने चाहिए थे | इकाई द्वारा अनुबन्ध के समय स्टाम्प शुल्क की वसूली न किए जाने के कारण शासन को **`44,294/-** के राजस्व की हानि हुई है |

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

संलग्नक 'क'

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद लक्सर, जनपद-हरिद्वार द्वारा दिये गए विभिन्न ठेकों पर ठेकेदारों से कम वसूली गई स्टाम्प ड्यूटी का विवरण

क्रं.सं.	ठेके का प्रकार	ठेकेदार का नाम	ठेके का स्थान	ठेके की अवधि	ठेके की कुल धनराशि	स्टाम्प ड्यूटी		
						जो वसूल की जानी थी	जो वसूल की गई	अन्तर
1	तहबाजारी	श्री अमित कुमार पुत्र श्री रहतू सिंह	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.15 से 31.03.16	865000	17300	100	17200
2	पार्किंग	श्री अमित कुमार पुत्र श्री रहतू सिंह	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.15 से 31.03.16	176000	3520	100	3420
3	विज्ञापन/होर्डिंग	श्री अमित कुमार पुत्र श्री रहतू सिंह	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.15 से 31.03.16	33700	674	100	574
4	तहबाजारी	श्री शमीम पुत्र श्री मौसम	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.16 से 31.03.17	900000	18000	100	17900
5	पार्किंग	श्री शमीम पुत्र श्री मौसम	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.16 से 31.03.17	190000	3800	100	3700
6	विज्ञापन/होर्डिंग	श्री शमीम पुत्र श्री मौसम	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.16 से 31.03.17	80000	1600	100	1500
				कुल योग	**2244700**	**44894**	**600**	**44294**

भाग II-'ब '

प्रस्तर 2 : गृहकर एवं दुकान/भूमि किराये की वसूली `3.10 लाख का लम्बित रहना |

गृहकर एवं दुकान/भूमि किराया किसी भी नगर पालिका की आय के प्रमुख स्रोत होते हैं | 14वें वित्त आयोग द्वारा भी नगरपालिकाओं द्वारा दक्षता अनुदान प्राप्त करने हेतु स्वयं की आय से संबन्धित अर्हतायें निर्धारित की गई हैं | 14वें वित्त आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों (No. 13(32)FFC/FCD/2015-16 dated 08th October, 2015-**दिशा-निर्देश संख्या 13**) के अनुसार नगरपालिकाओं को दक्षता अनुदान प्राप्त करने हेतु पिछले वर्षों के दौरान लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर अपनी आय में वृद्धि दर्शानी होगी |

इकाई के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच (जनवरी 2018) में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2016-17 के दौरान निम्नानुसार गृहकर तथा दुकान/भूमि किराये की वसूली की गई:-

तालिका 1: गृहकर वसूली विवरण

(धनराशि ` लाख में)

क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्व अवशेष	चालू माँग	कुल माँग	वसूली	गतशेष
01.	2014-15	1.19	7.50	8.69	7.20 **(83%)**	1.49
02.	2015-16	1.49	12.25	13.74	11.38 **(83%)**	2.36
03.	2016-17	2.36	12.25	14.61	12.05 **(82%)**	2.56

तालिका 2: दुकान/भूमि किराया वसूली विवरण

(धनराशि ` में)

क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्व अवशेष	चालू माँग	कुल माँग	वसूली	गतशेष
01.	2014-15	96686	176103	272789	170945 **(63%)**	101844
02.	2015-16	101844	99245	201089	158603 **(79%)**	42486
03.	2016-17	42486	101195	143681	89938 **(63%)**	53743

उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर इकाई द्वारा गृहकर एवं दुकान/भूमि किराये की कुल बकाया धनराशि **`3.10 लाख {(गृहकर `2.56 लाख+दुकान किराया `0.54 लाख)}** का वसूल किया जाना बाकी था |

इकाई द्वारा गृहकर के रूप में केवल **82** से **83** प्रतिशत तथा दुकान/भूमि किराये के रूप में केवल **63** से **79** प्रतिशत की वसूली की जा रही है जोकि निकाय के हित में नहीं है जबकि निदेशक शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक संख्या 760/श.वि.नि.-1213/अधि.नि.-2008/2014 दिनांकित 17 जुलाई 2014 के द्वारा भी सभी

निकायों को यह निर्देशित किया गया था कि निकायों में आरोपित करों की वसूली 90 प्रतिशत से अधिक सुनिश्चित की जाय |

इसे इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि मानव संशाधनों की कमी के कारण पूर्ण वसूली नहीं हो पा रही है | बकायादारों को नोटिस जारी किए गए हैं तथा आर.सी. जारी की गई है |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा माँग के सापेक्ष बहुत कम वसूली की जा रही है | इकाई द्वारा माँग के अनुरूप वसूली न किए जाने के कारण निकाय की आय में निरन्तर कमी आ रही है जोकि निकाय के हित में नहीं है | निकाय की आय में कमी के कारण इकाई को आतिथि तक 14वें वित्त आयोग से दक्षता अनुदान भी प्राप्त नहीं हुआ है |

अतः गृहकर एवं दुकान/भूमि किराये की बकाया वसूली `3.10 लाख के लम्बित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

भाग दो – (ब)

प्रस्तर 3: नई अंशदायी पेंशन योजना का समुचित क्रियान्वयन न किया जाना।

शासनादेश सं 21/xxvvi (7)अ.पे.यो/2005 दिनांक 25/10/2005 के अनुसार राज्य नियंत्रणाधीन समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओ/राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में समस्त नईभर्तियों पर 01 अक्टूबर2005 से नयी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी, जिसके अंतर्गत वेतन, महंगाई वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत केसमतुल्य धनराशि का अंशदान किया जाएगा एवं इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्यसरकार अथवा संबन्धित स्वायत्तशासी संस्था/निजी शिक्षण संस्थाद्वारा किया जाएगा। उत्तराखंड शासन के पत्रांक 346/xxvii(7)/2007 दिनांक 21 नवम्बर, 2007 द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया था कि जिन स्वायत्तशासी संस्थाओं/ स्थानीय निकायों में अंशदायी पेंशन योजना लागू है तथा राजकोष से एकीकृत लेखा एवं भुगतान प्रणाली से वेतन आहरित नहीं होता, ऐसी संस्थाओं में जब तक भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य के पेंशन फंड के विषय में पेंशन फंड मैनेजर नियुक्त नहीं होता, तब तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या ऐसी संस्था में जहां न्यूनतम सामान्य भविष्य निधि पर देय ब्याज से कम ब्याज अनुमन्य न हो, सुरक्षित निवेश किया जाय ताकि जैसे ही फंड मैनेजर नियुक्त हो ब्याज सहित ऐसी धनराशि प्रत्येक कर्मचारी के विवरण सहित फंड मैनेजर को हस्तांतरित कर दी जाय।

कार्यालय नगर पालिका परिषद,लक्सर,जनपद हरिद्वार के अधिकारियों/कर्मचारियों के नई अंशदान पेंशन योजना के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 01 अक्टूबर, 2005 के बाद नगर पालिका परिषद,लक्सर में निम्नलिखित कर्मचारियों को सेवा में नियुक्त किया गया था:-

क्रमांक	नाम	पदनाम	सेवा नियुक्ति ति थ
1.	श्री मौ. गुलशनव्वर	कर एवं राज.मोहर्रर	20/11/2015
2.	श्री प्रमोद कुमार त्यागी	पर्यावरण पर्यवेक्षक	26/11/2015
3.	श्री लक्ष्मण संह खाती	अनुसेवक	17/03/2016
4.	श्री नीटू	पर्यावरण मत्र	02/12/2005
5.	श्री र वन्द्र	पर्यावरण मत्र	08/07/2010
6.	श्री रामपाल	पर्यावरण मत्र	21/09/2015
7.	श्री सो वन्द्र कुमार	सफाई निरीक्षक	17/08/2015
8.	श्रीमति दयावती	पर्यावरण मत्र	03/01/2017
9.	श्री भोपाल	पर्यावरण मत्र	03/01/2017
10.	श्री जयपाल	पर्यावरण मत्र	03/01/2017
11.	श्री क्षत्रपाल	पर्यावरण मत्र	03/01/2017
12.	श्री प्रीतम संह	पर्यावरण मत्र	27/12/2016

उक्त कर्मचारियों के वेतन बिलों एवं नई अंशदायी पेंशन योजना से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि क्रमांक 01 से 06 पर अंकित कर्मचारियों के वेतन से नियमित रूप से नई अंशदायी पेंशन योजना की कटौती एवं समतुल्य धनराशि नगर पालिका/नियोक्ता द्वारा जोड़कर एक ही खाते में जमा की जा रही थी **(पंजाब नेशनल बैंक खाता सं- 4132000110194877)**। संबन्धित कर्मचारियों के अलग-अलग खाते नहीं खोले गए थे जिससे संबन्धित कर्मचारियों के नई अंशदायी पेंशन योजना में जमा धनराशि का सटीक विवरण उपलब्ध उपलभ्ध नहीं था।

इसके अतिरिक्त क्रमांक 07 से 12 पर अंकित कर्मचारियों के वेतन बिलों से नियुक्ति तिथि से लेखा-परीक्षा अवधि तक न तो नई अंशदायी पेंशन योजना के अंशदान की कटौती (वेतन, महंगाई वेतन/ग्रेड वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत) की जा रही थी और न ही इसी के समतुल्य सेवायोजक द्वारा प्रदत्त किया जा रहा था जिससे इन कर्मचारियों को नई अंशदायी पेंशन योजना का कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार इकाई द्वारा उपरोक्त कर्मचारियों के नई अंशदायी पेंशन योजना का क्रियान्वयन नियमानुसार नहीं किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया कि शासनादेशों के अभाव में उचित क्रियान्वयन नहीं किया जा सका था। समस्त कर्मचारियों के नई अंशदायी पेंशन योजना से संबन्धित नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त के संबंध में शासन द्वारा अक्टूबर 2005 में ही शासनादेश निर्गत कर लिए गए थे जिनका समुचित अनुपालन न किया जाना इकाई की शिथिलता को दर्शाता है।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(क) परिचयात्मक : कार्यालय **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद लक्सर, जनपद- हरिद्वार** के लेखा/अभिलेखों की वित्तीय वर्ष **2015-16** से **2016-17** तक की संप्रेक्षा श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ. तथा श्री लक्ष्मण सिंह, व.ले.प. द्वारा दिनांक **31 दिसम्बर 2017** से **04 जनवरी 2018** तक संपादित की गयी |

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या
स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-21/2015-16/1575 दिनांकित 25.01.2016	शून्य	प्रस्तर संख्या 01 से 02	प्रस्तर संख्या 01 से 04

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-21/2015-16/1575 दिनांकित 25.01.2016	**STAN प्रस्तर संख्या 2**: विभिन्न मदों से प्राप्त धनराशि `1,06,76,100/- का अवशेष रहना |	विभिन्न अनुदानों/मदों के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 के अन्त में अवशेष धनराशि `1,06,76,100/- का वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में उपयोग कर लिया गया है/किया जा रहा है | वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 का आय-व्यय विवरण लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करा दिया गया है | अतः उक्त प्रस्तर को निस्तारित करने की कृपा करें |	इकाई द्वारा विभिन्न अनुदानों/मदों के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 के अन्त में अवशेष धनराशि `1,06,76,100/- का वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के आय-व्यय विवरण में सम्मिलित कर लिया गया है।	**STAN प्रस्तर संख्या 2** को निस्तारित कर दिया गया हैं
	STAN प्रस्तर संख्या 3: विभिन्न मदों के अन्तर्गत मार्च 2015 तक `3,31,894/- की लम्बित वसूली |	दुकान एवं भूमि किराये की मार्च 2017 तक की अवशेष धनराशि की अद्यतन स्थिति लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करा दी गई है | अतः अद्यतन स्थिति के आधार पर उक्त प्रस्तर को निस्तारित करने की कृपा करें |	दुकान एवं भूमि किराये की मार्च 2017 तक की अद्यतन स्थिति प्राप्त कर उसे भाग-दो(ब) के प्रस्तर संख्या 02 में सम्मिलित कर प्रतिवेदित किया गया है |	**STAN प्रस्तर संख्या 3** को निस्तारित कर दिया गया हैं

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

भाग – V
आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद लक्सर, जनपद-हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है | तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii) } **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**:** **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
01.	श्री एलम दास	अधिशासी अधिकारी	19.08.11 से 18.06.15 तक
02.	श्री अज़हर अली	अधिशासी अधिकारी	18.06.15 से 30.07.15 तक
03.	श्री शांति प्रसाद जोशी	अधिशासी अधिकारी	30.07.15 से 17.06.16 तक
04.	श्री अजय नारायण खाती	अधिशासी अधिकारी	17.06.16 से 20.06.16 तक
05.	श्री राजेश पुरी	अधिशासी अधिकारी	20.06.16 से 24.07.17 तक
06.	श्री मौ. गौहर हयात	अधिशासी अधिकारी	24.07.17 से वर्तमान तक
07.	श्री राम सिंह वाल्मीकि	अध्यक्ष	04.05.13 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद लक्सर, जनपद-हरिद्वार** को पत्रांक संख्या स्था.नि./ले.प./न.ले.प.टि./2017-18/52 दिनांकित 08.01.2018 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून-248 195** को प्रेषित कर दी जाय |

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
स्थानीय निकाय